[राज्य सभा द्वारा 8 फरवरी, 2021 को पारित रूप में]

2021 का विधेयक संख्यांक 4-सी

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 7 जनवरी, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 13 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 में "अनुच्छेद 239क में" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् "या किसी अन्य अनुच्छेद में जिसमें राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश अन्तर्विष्ट है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 2019 का 34

धारा 88 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (2) से उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जम्मू-कश्मीर के विद्यमान काडर के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के सदस्य होंगे और उनका भाग बन जाएंगे तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सभी भावी आबंटन अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर से किए जाएंगे, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी काडर आबंटन नियमों में आवश्यक उपान्तरण किए जा सकेंगे ।

(3) ऐसे अधिकारी, जो अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के हैं या आबंटित हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार कार्य करेंगे ।"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 निरसित किया जाता है । 2021 का अध्यादेश सं० 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 2019 का 34

MGIPMRND—1362RS(CRC)—08-02-2021.